

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)**पीठासीन अधिकारी- रतन कुमार (आर.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या 011/2015 (GCMS 2015/00024)	दायर दिनांक 07.07.2015	निर्णय दिनांक 05.04.2021
------------------------------------------------	---------------------------	-----------------------------

अनवान

1. बोतलाल पिता तुलसीराम शर्मा आयु वयस्क निवासी घोडा खेडा तहसील इंगला जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2. कन्हैया लाल पिता तुलसीराम शर्मा आयु वयस्क निवासी घोडा खेडा तहसील इंगला जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
3. चतरभुज पिता तुलसीराम शर्मा आयु वयस्क निवासी घोडा खेडा तहसील इंगला जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
4. मांगी लाल पिता गिरधारी लाल शर्मा आयु वयस्क निवासी घोडा खेडा तहसील इंगला जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
5. लेहरू पिता गिरधारी लाल शर्मा आयु वयस्क निवासी घोडा खेडा तहसील इंगला जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

निगराकार**बनाम**

1. उंकार लाल पिता चुन्नी लाल शर्मा आयु वयस्क निवासी घोडा खेडा तहसील इंगला जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2. ग्राम पंचायत नाडाखेडा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत नाडाखेडा तहसील इंगला पंचायत समिति इंगला जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

गैर निगराकार

--:: निगरानी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरुद्ध आवासीय भूमि का पट्टा संख्या 023 दिनांक 24.01.2013 को निरस्त कराये जाने हेतु ::--

उपस्थिति :- श्री मनोहरलाल दक
श्री केजी व्यास
अनुपस्थित

निगराकार
गैर निगराकार संख्या 1
गैर निगराकार संख्या 2

--:: निर्णय ::--

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि निगराकार ने एक निगरानी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरुद्ध गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत नाडाखेडा पंचायत समिति



इंगला जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा विपक्षी संख्या 01 औंकार लाल के नाम पर विपक्षी संख्या 02 ग्राम पंचायत नाडाखेडा द्वारा आवासीय भूमि का पट्टा संख्या 023 दिनांक 24.01.2013 को जारी किया है वह भूमि का पट्टा न्याय नियम एवं विधि के विपरीत जारी किये जाने से निरस्त किये जाने योग्य है। विपक्षी संख्या 02 द्वारा जारीशुदा उक्त विवादित पट्टा वाली भूमि पक्षकारान की पैतृक संपत्ति होकर उस पर प्रार्थीगण का कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थीगण का पारिवारिक सजरा मुताबिक निगरानी मेमों है। प्रार्थीगण विपक्षी संख्या 01 के पूर्वजों का पुश्तैनी मकान रहा है जिसका एक नजरी नक्शा निगरानी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है जो निगरानी प्रार्थना का भाग है उसके अनुसार हम पक्षकार का विवादित मकान में अलग-अलग कब्जा होकर उपयोग-उपभोग रहा है। हमारे इस पुश्तैनी संपत्ति का विधि अनुसार कोई बंटवाडा नहीं हुआ है, किन्तु आपसी समझ से अलग-अलग रूप से निवास करते रहे हैं। इस भांति उक्त विवादित संपत्ति हम पक्षकारों की पैतृक अविभाजित संयुक्त संपत्ति है जिसमें हम सभी का हक व हिस्सा निहित है। विपक्षी संख्या 01 औंकार लाल ने उक्त सभी तथ्यों को छिपाते हुए इस कुलिया संपत्ति का पट्टा ग्राम पंचायत से मिलकर अपने अकेले के नाम प्राप्त किया जो पट्टा विधि विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। विपक्षी संख्या 01 ने जो प्रार्थना पत्र उक्त विवादित पट्टा दिलाये जाने के संबंध में विपक्षी संख्या 02 ग्राम पंचायत के यहां प्रस्तुत किया उसमें उक्त संपत्ति का कोई पूर्ण विवरण नहीं दिया, न ही पडौस अंकित किये है और न ही कोई संपत्ति का नक्शा ही संलग्न किया है। इसके अलावा मकान के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर जो पट्टा प्राप्त किया वह पट्टा विधि अनुसार नहीं होकर निरस्त योग्य है। उक्त मकान का पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत रूप से कोई कार्यवाही नहीं की गयी, पटवार हल्का से किसी भांति कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की और न ही हम भाईयों से किसी भांति कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र ही उक्त मकान के संबंध में प्राप्त ही किया है। पडौसियों से भी कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र या उजर प्राप्त नहीं किये गये है। इतना ही नहीं ग्राम पंचायत के सरपंच, वार्ड पंच आदि की उपस्थिति में कोई मौका निरीक्षण कर पर्चा रिपोर्ट तैयार नहीं की गयी और भूमि के संबंध में पट्टा जारी किया गया उसके संबंध में कोई मौका रिपोर्ट और जानकारी तक प्राप्त नहीं की गयी और न ही कोई उजरदारी प्रस्तुत करने हेतु नोटिस ही जारी किया। इस भांति उक्त प्रक्रिया का बिना पालन किये ही जो पट्टा जारी किया है वह पट्टा नियमों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। पट्टे में ग्राम सभा के प्रस्ताव संख्या 09 का हवाला दिया गया किन्तु ग्राम सभा का ऐसा कोई आयोजन नहीं हुआ और ग्राम सभा में जो प्रस्ताव संख्या 09 दर्ज होना प्रकट किया जा रहा है उसके अनुसार आवेदन पत्र व शपथ पत्र के आधार पर पट्टा जारी किया गया, ऐसा अंकित किया है। इससे स्पष्ट है कि नियमानुसार कोई कार्यवाही नहीं की गयी और केवल प्रार्थना पत्र



व शपथ पत्र के आधार पर ही पट्टा जारी कर दिया गया जो नियमों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। राजस्थान पंचायत राज नियम 157(1)के अंतर्गत पुराने मकान का विनियमितकरण के अंतर्गत पट्टा जारी करने हेतु निर्देश है और जो प्रक्रिया विहित है उसका कोई पालन नहीं किया गया। इस भांति जो भूमि का पट्टा जारी किया गया है वह सर्वथा नियमों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। प्रार्थीगण हितबद्ध व्यक्ति है और उक्त भूमि जिसका पट्टा जारी किया गया है उसमें उनका हित निहित है इस कारण हितबद्ध व्यक्ति होने से यह निगरानी प्रस्तुत करने का प्रार्थीगण को वैधानिक अधिकार होने से यह निगरानी प्रस्तुत है। पट्टा जैर निगरानी वाला भूखण्ड श्रीमान के क्षेत्राधिकार में स्थित होने इस निगरानी सुनने का माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार है। अन्य उजरात वक्त बहस निवेदन किए जाएंगे। अतः यह निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ ग्राम पंचायत नाडाखेडा तहसील इंगला जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा विपक्षी संख्या 01 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 023 दिनांक 24.01.2013 को निरस्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान फरमाया जाए। अन्य अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे प्रार्थी को प्रदान फरमाया जावें।

इस पर निगरानी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर निगराकारान को जरिये नोटिस के तलब किया गया। इस पर दिनांक 05.08.2015 को गैर निगराकार संख्या 1 की और से उनके अधिवक्ता हाजिर आये अधिकार पत्र पेश किया जो कि शामिल पत्रावली है। दिनांक 27.08.2015 को गैर निगराकार संख्या 1 की और से जवाब निगरानी पेश किया जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। अपने जवाब निगरानी में गैर निगराकार ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार कर बताया कि ग्राम पंचायत नाडा खेडा द्वारा विपक्षी संख्या 01 के नाम से आवासीय भूखण्ड मकान का पट्टा विधि अनुसार जारी किया है तथा ग्राम पंचायत द्वारा विधिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए जारी किया गया है तथा ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पुश्तैनी पट्टा को विधि अनुसार उप पंजीयक इंगला में दिनांक 22.04.2013 को पंजीकृत करवाया गया है। जिसमें सभी प्रकार की विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए उक्त पट्टा विपक्षी संख्या 01 को नियमानुसार जारी किया गया है जो किसी भांति निरस्त होने योग्य नहीं है। पारिवारिक सजरा गलत होने से अस्वीकार है। पारिवारिक सजरा अपूर्ण रूप से प्रस्तुत किया गया है। विपक्षी संख्या 01 को ग्राम पंचायत द्वारा जिस आवासीय भूमि मकान का पुश्तैनी पट्टा जारी किया गया है वह विपक्षी संख्या 01 के पिता चुन्नी लाल की संपत्ति एवं जायदाद है। विपक्षी संख्या 01 को जारी पुश्तैनी पट्टा वाला भूखण्ड मकान के पूर्व दिशा एवं दक्षिण दिशा में प्रार्थीगण के हक हिस्से के भूखण्ड मकान मौके पर स्थित है जो प्रार्थीगण के उपयोग-उपभोग के है। विपक्षी संख्या 01 के दादा जी रघुनाथ जी के तीन पुत्र थे जिनमें गिरधारी लाल जी तुलसीराम जी तथा सबसे छोटे विपक्षी संख्या 01 के



पिता चुन्नी लाल जी थे। रघुनाथ जी की मृत्यु करीब 50 वर्ष पूर्व हो गयी थी तथा रघुनाथ जी की मृत्यु के पूर्व ही उनके सबसे बड़े पुत्र गिरधारी जी की मृत्यु हो चुकी थी। रघुनाथ जी की मृत्यु के बाद तुलसीराम चुन्नी लाल तथा मृतक गिरधारी लाल के वारिसान के बीच उक्त संपूर्ण मकान भूखण्डों का आपसी मौखिक विभाजन कर लिया था, जो करीब 50 वर्ष पहले किया गया था तभी से उक्त भूखण्ड मकान जिसका पुश्तैनी पट्टा ग्राम पंचायत नाडाखेडा द्वारा विपक्षी संख्या 01 को जारी किया गया है वह विपक्षी संख्या 01 के पिता चुन्नी लाल जी के उपयोग उपभोग एवं मालिकाना हक में चला आ रहा है और चुन्नी लाल जी की मृत्यु के बाद उक्त मकान विपक्षी संख्या 01 के उपयोग उपभोग में निरन्तर चला आ रहा है जिसमें प्रार्थीगण का कोई हक अधिकार उपयोग उपभोग नहीं है। रघुनाथ जी के पुत्र तुलसीराम व मृतक पुत्र गिरधारी लाल के वारिसान को जो आपसी मौखिक विभाजन से भूखण्ड मकान का जो हिस्सा प्राप्त हुआ है जो विपक्षी संख्या 01 के उक्त भूखण्ड मकान के पूर्व में तथा दक्षिण में स्थित है में प्रार्थीगण कब्जे उपयोग उपभोग में ले रहे हैं जिसमें विपक्षी संख्या 01 का कोई हक अधिकार कब्जा हिस्सा अधिकार व उजर व आपत्ति भी नहीं हैं प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 03 गलत होने से अस्वीकार है। विपक्षी संख्या 01 को ग्राम पंचायत नाडाखेडा द्वारा दिनांक 24.01.2013 को जिस आबादी भूमि का पुश्तैनी पट्टा जारी किया गया है एवं उक्त पुश्तैनी पट्टा को विधि अनुसार उपपंजीयक इंगला में पंजीकृत कराया गया है वह भूखण्ड मकान विपक्षी संख्या 01 के मालिकाना हक व कब्जे का है। प्रार्थीगण ने इस प्रार्थना पत्र के साथ जो तथाकथित नक्शा नजरी पेश किया है वह गलत होने से अस्वीकार है। विपक्षी संख्या 01 को जारी पुश्तैनी पट्टा भूखण्ड मकान वाले भाग पर प्रार्थीगण का कोई मालिकाना हक व कब्जा नहीं है क्योंकि उक्त भूखण्ड मकान रघुनाथ जी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र तुलसीराम चुन्नी लाल तथा मृतक पुत्र गिरधारी लाल के वारिसान के मध्य आपसी मौखिक विभाजन में विपक्षी संख्या 01 के पिता चुन्नी लाल को प्राप्त हुआ था तभी से विगत 50 वर्षों से चुन्नी लाल व उसके बाद उंकार लाल का मालिकाना हक व कब्जा है। तुलसीराम व मृतक गिरधारी लाल के वारिसान को मौखिक विभाजन से पूर्व दिशा की ओर तथा दक्षिण दिशा की ओर के भूखण्ड मकान प्राप्त हुए हैं जो प्रार्थीगण के हक हिस्से के हैं। प्रार्थीगण ने इस चरण में इस तथ्य को तो स्वीकार किया है कि प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण पृथक-पृथक अलग-अलग निवास कर रहे हैं जिससे भी यह साबित है कि विपक्षी संख्या 01 का अलग हिस्सा है और अलग कब्जा है। जिसका कि पुश्तैनी पट्टा आवासीय भूमि का ग्राम पंचायत द्वारा विधि अनुसार विपक्षी संख्या 01 को जारी कर रजिस्टर्ड करवाया है। विपक्षी संख्या 01 ने किसी भी तथ्य को नहीं छिपाया है, ना ही कुलिया संपत्ति का पट्टा ग्राम पंचायत से प्राप्त किया है बल्कि रघुनाथ जी के मकान का कुल हिस्सा करीब 15 हजार स्कवायर फीट बनता है जिसमें



से विधि अनुसार विपक्षी संख्या 01 का 1/3 हिस्सा बनता है और विपक्षी संख्या 01 ने 1/3 हिस्से भूमि में से ही उक्त पट्टा पूर्व में हुए आपसी मौखिक विभाजन अनुसार ही प्राप्त किया है, शेष 2/3 भाग भूमि का हिस्सा प्रार्थीगण के हक हिस्से कब्जे उपयोग उपभोग में है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 05 गलत होने से अस्वीकार है। विपक्षी संख्या 01 ने ग्राम पंचायत नाडाखेडा में विधि अनुसार ही उक्त पुश्तैनी पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था जिसमें विपक्षी संख्या 01 के हिस्से की भूमि मकान का ही विवरण दिया था तथा अपने हिस्से एवं कब्जे उपयोग-उपभोग का ही पट्टा समस्त वास्तविक तथ्य बताकर प्राप्त किया है। प्रार्थीगण के हक हिस्से कब्जे उपयोग-उपभोग का पट्टा नहीं लिया गया है। प्रार्थीगण का हक कब्जा तो उनके भूखण्ड मकान अनुसार मौके पर विद्यमान है, जो उक्त पट्टे वाली भूमि के पूर्व एवं दक्षिण दिशा की ओर स्थित है, इसलिए पट्टा विधि अनुसार जारी होने के कारण निरस्त होने योग्य नहीं है। ग्राम पंचायत नाडाखेडा द्वारा उक्त पुश्तैनी पट्टा का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही करके मौके की रिपोर्ट प्राप्त कर उजर आपत्ति प्राप्त करने हेतु सार्वजनिक सूचना जारी की गयी एवं उजर आपत्ति में दर्शायी गयी निर्धारित अवधि में किसी भी व्यक्ति की कोई उजर आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर विधि अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा समस्त नियमों/उपनियमों की अनुपालना करते हुए ग्राम पंचायत द्वारा विपक्षी संख्या 01 को विपक्षी संख्या 01 के कब्जे उपयोग-उपभोग के उक्त आवासीय भूखण्ड मकान का पट्टा नियमानुसार जारी करके पट्टे को उपपंजीयक कार्यालय इंगला में ग्राम पंचायत नाडाखेडा के सरपंच एवं सचिव द्वारा पंजीकृत करवाया गया है जिसमें सभी प्रकार की विधिक प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है। ग्राम पंचायत के द्वारा विपक्षी संख्या 01 को उक्त भूखण्ड मकान का पुश्तैनी पट्टा जारी किये जाने की व कार्यवाही की जानकारी प्रार्थीगण को प्रारम्भ से ही रही है। प्रार्थीगण द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा जारी की गयी उजरदारी सूचना के बाद ग्राम पंचायत में किसी प्रकार की उजर आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है जिससे यह प्रमाणित है कि विपक्षी संख्या 01 को पट्टा पुश्तैनी मकान का विधि अनुसार जारी किया गया है। पट्टा नियमानुसार जारी होने से निरस्त होने योग्य नहीं है। ग्राम पंचायत के ग्रामसभा के प्रस्ताव अनुसार ही ग्राम पंचायत ने उक्त पट्टा जारी करने की प्रक्रिया विधि अनुसार ही की है। प्रार्थीगण का यह आरोप निराधार है कि पंचायत ने कोई ग्राम सभा आयोजित नहीं की न ही प्रस्ताव संख्या 09 पारित किया है, बल्कि ग्राम पंचायत के बैठक कार्यवाही रजिस्टर में उक्त प्रस्ताव संख्या 09 में उक्त पट्टा जारी किये जाने का स्पष्ट अंकन किया गया है तथा ग्राम पंचायत के बैठक कार्यवाही रजिस्टर दिनांक 21.12.2012 में भी प्रस्ताव संख्या 03 में पट्टा जारी किये जाने संबंधी प्रस्ताव लिया जाना अंकित किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत की कार्यवाही विधि अनुसार हुई है। विपक्षी संख्या 01 के आवेदन पर ग्राम पंचायत ने नियमानुसार पूर्ण जांच करने के पश्चात ही



सार्वजनिक उजरदारी का नोटिस निकालने के बाद ही वास्तविक तथ्यों की जानकारी कर सभी नियमों की जानकारी कर पट्टा विपक्षी संख्या 01 को जारी किया गया है। ग्राम पंचायत ने सभी नियमों एवं कानूनों की अनुपालना करते हुए ही पट्टा विपक्षी संख्या 01 को जारी किया है एवं पंजीकृत किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं हुई है। प्रार्थीगण हितबद्ध व्यक्ति नहीं है। प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है क्योंकि विपक्षी संख्या 01 को जो पट्टा जारी किया गया है वह विपक्षी संख्या 01 के स्वामित्व हक अधिकार की भूमि ही है जिसमें प्रार्थीगण का कोई हक अधिकार किसी भांति नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा विपक्षी संख्या 01 को पट्टा दिनांक 24.01.2013 को जारी किया गया तथा उक्त पट्टे का उपपंजीयक कार्यालय इंगला में दिनांक 22.04.2013 को पंजीकृत करवाया गया है, जबकि प्रार्थीगण निगराकार द्वारा यह प्रार्थना पत्र दिनांक 03.07.2015 को 2 वर्ष व 3 माह से अधिक अवधि के पश्चात प्रस्तुत किया गया है जबकि प्रार्थीगण को उक्त पट्टा जारी करने की दिनांक से ही समस्त तथ्यों की पूर्ण जानकारी है क्योंकि प्रार्थीगण गांव घोडाखेडा के निवासी है। समस्त कार्यवाही प्रार्थीगण के समक्ष खुले रूप से हुई है इस कारण उक्त निगरानी मियाद बाहर होने से निरस्त होने योग्य है। प्रार्थीगण ने उक्त निगरानी में ढाई वर्ष से अधिक की अवधि के विलम्ब का कोई कारण दर्शित नहीं किया है न ही विलम्ब के संबंध में कोई तथ्यात्मक उल्लेख भी अंकित नहीं किया गया है इस कारण यह निगरानी मियाद के बिन्दू पर निरस्त होने योग्य है। प्रार्थीगण ने डिले को कण्डोन किये जाने हेतु कोई प्रार्थना पत्र धारा 5 इण्डियन लिमिटेशन का प्रस्तुत नहीं किया है इस कारण भी निगरानी प्रार्थना पत्र निरस्त किये योग्य है। यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का नहीं है क्योंकि उक्त मामला केवल सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा ही निर्णित किया जा सकता है। पुश्तैनी पट्टा जो विपक्षी संख्या 01 को जारी किया गया है वह उपपंजीयक इंगला में 22.04.2013 को पंजीकृत किया गया है जिसे केवल सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा ही निरस्त कराया जा सकता है। प्रार्थीगण ने उक्त भूमि स्वयं की पुश्तैनी होने का कथन करते हुए यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसके संबंध में घोषणा सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा ही की जा सकती है। प्रार्थीगण उनके किसी हक अधिकार की घोषणा कराना चाहते हैं तो वह सक्षम सिविल न्यायालय से ही करवा सकते हैं निगरानी प्रार्थना पत्र में इस प्रकार का आक्षेप उठाने का कोई अधिकार नहीं है। अतः यह जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि विपक्षी संख्या 01 का जवाब स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें। गैर निगराकार की और से प्रस्तुत जवाब निगरानी शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। इस पर निगराकार की और से जवाब-उल-जवाब 16.03.2016 को पेश कर प्रारम्भिक आपत्तियां की गई। अपने जवाब-उल-जवाब में निगराकार ने बताया कि



विपक्षी संख्या 2 द्वारा विपक्षी का प्रार्थना पत्र प्रथम जिस पर किसी प्रकार की तारीख अंकित नहीं है। विपक्षी संख्या 2 द्वारा विपक्षी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र को ग्राम पंचायत के आवक पत्र में डिस्पेच नहीं किया। विपक्षी संख्या 1 द्वारा जो शपथ पत्र प्रस्तुत किया उस पर कोई तारीख अंकित नहीं है तथा गवाह एवं मकान के पडोसीयान के कॉलम रिक्त छोड़े गये। विपक्षी संख्या 1 द्वारा विपक्षी की सम्पति किस वार्ड में है रिक्त हैं, कही भी उल्लेख नहीं किया। शपथ पत्र के कॉलम संख्या 2 में जिस भूखण्ड/मकान को नाम पर कराने का आवेदन किया उसका कोई नाम दर्ज नहीं किया। विपक्षी संख्या 1 द्वारा स्टाम्प क्रय किया क्रमांक 2246 दिनांक 13.01.2013 विपक्षी संख्या 2 द्वारा जारी पट्टा नम्बर 0117 पट्टा संख्या 023 दिनांक 24.01.2013 जारी किया गया यानि आवेदन प्राप्ति के 11 दिवस में, उजरदारी नोटिस कब जारी हुआ उसमें कितने दिन का समय दिया उजरदारी नोटिस विपक्षी संख्या 2 से तलब आदेश फरमावें। पट्टा दिनांक 24.01.2013 में संकल्प संख्या कि जगह ग्रामसभा के प्रस्ताव संख्या 09 से अनुमोदन होना लिखा इसमें ग्रामसभा किस दिन की थी यह अंकित नहीं है। दिनांक 20.12.2013 कि ग्रामसभा के प्रस्ताव संख्या 9 में अंकित किया की को ग्राम में आवेदन पत्र व शपथ पत्र के आधार पर पट्टे जारी किये गये यानि ग्रामसभा के पूर्व पट्टे बिना ग्रामसभा के अनुमोदन किये ही पट्टे जारी करना तथ्य प्रमाणित अंकित है। ग्राम पंचायत विपक्षी संख्या 2 द्वारा जारी पट्टा संख्या 023 दिनांक 24.01.2013 के नियम 1 में अंकित किया हुआ है पूर्वान्त आवंटिती का 50 वर्ष से अधिक होने से पुराने घर पर कब्जा हैं आदि आदि अंकित है इस पर विपक्षी संख्या 1 द्वारा स्टाम्प विक्रयकर्ता उदय लाल ने विपक्षी संख्या 1 उंकारलाल ने उम्र 50 वर्ष लिखा हैं जिसके प्रमाण में स्टाम्प नम्बर 2246 दिनांक 13.01.2013 के अनुसार विपक्षी संख्या 1 द्वारा पंचायत को गलत सूचना देकर पट्टा प्राप्त करना जाहिर होता है, कारण नियम संख्या 1 के अनुसार विपक्षी का निवास 50 वर्ष से अधिक होना नियमों में प्रावधान होने से उक्त पट्टा विपक्षी संख्या 1 प्राप्त करने का हकदार नहीं हैं। गैरनिगराकार ने चरण संख्या 1 गलत होने से अस्वीकार किया तथा ग्राम पंचायत नाडाखेडा द्वारा विपक्षी संख्या 1 के नाम से आवासीय भूखण्ड का पट्टा विधि अनुसार जारी करना बताया उक्त विपक्षी संख्या 1 के कथन नितान्त असत्य है। कारण विपक्षी संख्या 1 के प्रथम आवेदन पर कोई तारीख अंकित नहीं हैं। पंचायत द्वारा प्रार्थना पत्र को आवक रजिस्टर में आमद नहीं हुआ पंचायत ने पट्टा दिनांक 24.01.2013 जारी किया तत्समय ग्राम पंचायत नाडाखेडा द्वारा कोई प्रस्ताव पट्टा जारी करने या विपक्षी संख्या 1 के प्रार्थना पत्र पर कोई विचार नहीं किया तथा गैरनिगराकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई ठोस तथ्य जबाव के साथ पेश नहीं किया इससे यह स्पष्ट होता हैं उक्त गैरनिगराकार का जारी पट्टा दिनांक 24.01.2013 विधि अनुसार नहीं हैं। इसलिए गैर निगराकार के तथ्य विश्वसनिय नहीं हैं। इससे जारी पट्टा खारिज करने



योग्य है। गैरनिगराकार ने निगरानी की चरण संख्या 2 में अंकित सजरा को गलत होना बता कर अस्वीकार किया, लेकिन उसके द्वारा कोई सजरा नहीं बनाया जो बनाना चाहिए था। तथा गैर निगराकार ने आगे लिखा की उक्त सम्पूर्ण मकान भूखण्डो का आपसी मौखिक विभाजन कर लिया था जो करीब 50 वर्ष पहले किया था इस सम्बन्ध में गैर निगराकार द्वारा कोई साक्ष्य सबूत या किसी का शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है ऐसी स्थिति में प्राकृतिक न्याय के अनुसरण में जब गैर निगराकार स्वयं जब भूखण्ड को पंजीकृत कराया तब उसकी उम्र 50 वर्ष रही हैं स्वयं गैर निगराकार जवाब में 50 वर्ष पूर्व आपसी मौखिक बंटवाडे का कथन करना अपने आप स्वार्थ के वशीभूत होकर अपने बचाव के लिये मनगढंत कहानी रचना दर्शित होती हैं। इससे जारी पट्टा खारिज करने योग्य है। गैरनिगराकार ने निगरानी की चरण 3 को गलत होने से अस्वीकार किया गैर निगराकार ने अपने जवाब में इस तथ्य को स्वीकार किया की, उक्त भूखण्ड मकान रघुनाथ की मृत्यु के बाद उनके पुत्र तुलसीराम, चुन्नीलाल एवं मृतक पुत्र गिरधारी लाल के वारिसान के मध्य आपसी मौखिक विभाजन में विपक्षी संख्या 1 के पिता चुन्नी लाल को प्राप्त हुआ तभी से विगत 50 वर्षों से चुन्नी लाल व उसके बाद उंकारलाल का मालिकाना हक व कब्जा हैं तुलसीराम व मृतक गिरधारी लाल के वारीसान को मौखिक विभाजन से पूर्व दिशा की और तथा दक्षिण दिशा की और के भूखण्ड मकान प्राप्त हुए हैं। जो प्रार्थीगण के हक हिस्से में है। आदी कथन किये इससे यह स्पष्ट होता हैं कि उक्त सम्पति मकान विवादित है। रघुनाथ जी मृत के तीन सन्तान हैं जो गैर निगराकार भी स्वीकार करता है ऐसी स्थिति में पूर्व में कोई विधिक बंटवाड़ा हुआ ही नहीं है। तब विवादित उक्त मकान, भूखण्ड के तीन हिस्से बराबर होंगे जिससे सभी तीनों परिवार के वारिसान अच्छा से अच्छा एवं खराब से खराब में तीनों ही बराबर के हकदार है, जबकि गैर निगराकार अपने स्वयं के स्वार्थ के वशीभूत होकर उत्तर दिशा के मुख्य मार्ग एवं पश्चिम दिशा के मार्ग का उपयोग उपभोग में लेने की नियत से बिना निगराकारों के ध्यान में लाये चुपके से पट्टा बना लिया इसलिए पट्टा निरस्त करने योग्य हैं। निगरानी की चरण संख्या 4 गलत होने से अस्वीकार की गयी एवं गैरनिगराकार ने किसी भी तथ्य को नहीं छिपाया यह भी अंकित किया तथा कुल भूखण्ड 15000 वर्गफिट होना भी अंकित किया जिसमें से विधि अनुसार विपक्षी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा बनता हैं और विपक्षी गैरनिगराकार संख्या 1 ने 1/3 हिस्सा भूमि में से ही उक्त पट्टा पूर्व में हुए आपसी मौखिक विभाजन अनुसार ही प्राप्त किया, शेष 2/3 भाग भूमि का हिस्सा प्रार्थीगण के हक हिस्से कब्जे उपयोग उपभोग में हैं का उल्लेख किया इस सम्बन्ध में तथ्य यह है कि वर्तमान में गैर निगराकार के अनुसार 15000 वर्गफिट का भूखण्ड स्वयं के कथन से उसके हिस्से में 5000 वर्गफिट भूखण्ड आता है। जबकि गैर निगराकार ने मात्र 2750 वर्गफिट का पट्टा ही पंचायत से लेने का आवेदन क्यों किया इससे यह स्पष्ट हो



जाता है कि अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर अच्छी से अच्छी जगह का पट्टा बना लिया एवं खराब से खराब भूखण्ड अन्य के लिये छोड़ दिया इसका कोई उल्लेख नहीं किया की उसने कम भूखण्ड क्यों लिया? क्यों शेष भूमि और लेने के लिये जवाब में कुछ नहीं लिखा तथा मौखिक विभाजन के जो कथन अंकित किये वह मिथ्या अपवाद है। तथा गैरनिगराकार ने शेष 2/3 भाग भूमि का हिस्सा प्रार्थीगण के हक हिस्से कब्जे उपयोग उपभोग में है यह तथ्य भी निराधार गलत हैं कारण निगराकार संख्या 1 बोतलाल कि श्रीसाँवलिया मन्दिर मण्डल, मण्डफिया में नौकरी थी तथा साँवलियाजी में रहते थे उनका रिटायरटमेन्ट अक्टुम्बर 2013 में हुआ एवं नवम्बर 2013 में जिस परिसर का पट्टा गैर निगराकार ने प्राप्त किया जिसकी नजरी नक्शा पेश किया उसमें बोतलाल को जहाँ काबिज बताया वहाँ नवम्बर 2013 से बोतलाल निवासरत हैं, एवं खाना भी उसी मकान में बनाता हैं एवं पूर्व में भी उक्त परिसर उनके पास ही था जहाँ उनका सामान एवं उनके भाईयो का कब्जा व उपयोग उपभोग रहा यदि गैरनिगराकार के कब्जे में बोतलाल का मकान होता तो गैरनिगराकार उसमें प्रवेश नहीं होने देता इसलिए जिस कब्जे के लिए गैरनिगराकार अपना कब्जा बता रहा है वास्तव में उसका कब्जा हैं ही नहीं इसलिए पट्टा निरस्त करने योग्य है। गैर निगराकार ने चरण संख्या 5 में पडोस अंकित नहीं किये न ही कोई सम्पति का नक्शा संलग्न नहीं करने सम्बन्धी प्रश्न रहा जबकि गैरनिगराकार ने चरण संख्या 5 गलत होने से अस्वीकार लिखकर बड़ी गलती की है मात्र दिशाओ से पट्टा जारी नहीं होता पट्टा जिस भू-भाग का प्राप्त करना है उस भू-भाग का नजरी नक्शा पेश करना एवं लम्बाई चौड़ाई दर्शाना भी अनिवार्य होता है जो कुछ भी नहीं दर्शाया इसलिए पंचायत द्वारा दिया गया पट्टा संख्या 023 दिनांक 24.01.2013 निरस्त करने योग्य है। निगराकार की चरण संख्या 6 गैरनिगराकार ने प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 6 गलत होने से अस्वीकार करना लिखा एवं सही तथ्य बताया की पंचायत नाडाखेडा को प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर नियमानुसार उजरदायी आपत्ति प्राप्त करने हेतु सार्वजनिक सूचना जारी की गयी तथा निर्धारित अवधि में कोई उजरदायी आपत्ति प्राप्त नहीं होने से समस्त नियमों/उपनियमों की अनुपालना करते हुए विपक्षी संख्या 01 को विपक्षी संख्या 02 की कब्जे उपयोग उपभोग के वक्त आवासीय भूखण्ड मकान का पट्टा नियमानुसार जारी करना बताया जबकि विपक्षी संख्या 01 के भूखण्ड मकान में वर्तमान निगराकार संख्या 01 बोतलाल निवास कर रहा हैं। नवम्बर 2013 से जिसको नजरी नक्शे में बता रखा हैं तथा गैरनिगराकार ने आगे लिखा की उक्त भूखण्ड मकान का पुश्तैनी पट्टा जारी किये जाने की कार्यवाही की जानकारी प्रार्थीगण को प्रारम्भ से ही रही थी। लिखा लेकिन किस माध्यम से जानकारी हुई उसका विवरण नहीं दिया न ही कोई गवाह साक्ष्य सबूत जवाब के साथ संलग्न किया। तथा ग्राम पंचायत जिसको पार्टी बनायी वह उपस्थित नहीं हुई न ही



जवाब प्रस्तुत किया एवं न ही उजरदारी घोषणा का पत्र जवाब के साथ पेश किया इस प्रकार गैरनिगराकार अपने कथनों से निगराकार के अंकित सभी बातों को गलत बता रहा हैं। इसलिए गैरनिगराकार का जारी पट्टा निरस्त होने योग्य हैं। गैरनिगराकार ने प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 07 गलत होने से अस्वीकार की है उसने लिखा की ग्राम पंचायत के ग्रामसभा के प्रस्ताव अनुसार ही ग्राम पंचायत ने उक्त पट्टा जारी करने की प्रक्रिया विधि अनुसार ही की है। जबकि वास्तविक सत्यता यह है की ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 20.12.2013 प्रस्ताव संख्या 09 को ग्राम में आवेदन पत्र व शपथ पत्र के आधार पर पट्टे जारी किये गये अंकित हैं तथा ग्राम पंचायत की बैठक कार्यवाही रजिस्टर दिनांक 21.12.2012 में भी प्रस्ताव संख्या 3 में पट्टा जारी किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव लिया जाना अंकित किया लेकिन जवाब के साथ इस सम्बन्ध में विपक्षी संख्या 01 ने कोई सबुत पेश नहीं किया। यदि ऐसा है तो पट्टा दिनांक 24.01.2013 को जारी किया गया एवं पंचायत बैठक दिनांक 20.12.2013 आयोजित हुई है इसलिए गैर निगराकार का पट्टा निरस्त होने योग्य है। गैरनिगराकार ने प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 08 गलत होने से अस्वीकार कि हैं विपक्षी संख्या 01 ने बार-बार वही राग अलापा की पंचायत ने सभी नियमों एवं कानुनो की अनुपालना करते हुए पट्टा जारी किया जबकि प्रारम्भिक आपत्तियो के होने से विपक्षी संख्या 01 का पट्टा निरस्त करने योग्य है। गैरनिगराकार ने प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 09 गलत होने से अस्वीकार की हैं आगे लिखा हैं की प्रार्थीगण हितबद्ध व्यक्ति नहीं है, आदि 2 कथन किये निगराकार उक्त विवादित भूमि भूखण्ड के हितग्राही हैं, एवं उक्त भूखण्ड का विधि अनुसार बंटवाडा नही हुआ इसलिये निगराकार हितग्राही है। गैर निगराकार के स्वामित्व हक अधिकार की भूमि तभी मान्य होती जब विधिक बंटवाडा घोषित न्यायालय द्वारा होता या आपसी लिखा पढ़ी। जो किसी न्यायालय, पंचाट द्वारा सक्षम बंटवाडा घोषित नही किया इसलिए गैरनिगराकार का जारी पट्टा निरस्त योग्य गैरनिगराकार ने प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 10 गलत होने से अस्वीकार की है आगे लिखा की प्रार्थीगण निगराकार द्वारा यह प्रार्थना पत्र दिनांक 03.07.2015 को 2 वर्ष 3 माह कि अवधि पश्चात् प्रस्तुत किया गया जबकि प्रार्थी को उक्त पट्टा जारी करने की दिनांक से समस्त तथ्यो की जानकारी हैं आदि आदि लिखा लेकिन सत्य यह हैं कि यह सारी कार्यवाही पंचायत विपक्षी संख्या 02 से गुपचुप मिलीभगत अनुचित स्वार्थ पूर्ति के चलते की है, जबकि उजरदारी नोटिस ही पडौंसियो को तामील नही हुआ तथा न ही किसी समाचार पत्र में प्रकाशन कराया तो के से जानकारी होगी इसकी जानकारी निगराकार को तब हुई जब राज्य सरकार द्वारा फसलीय नुकसान की राशि देय हुई एवं तुरन्त प्रभाव बिना विलम्ब के दिनांक 03.07.2015 को निगरानी प्रस्तुत की हैं ऐसी स्थिति में दफा 5 लिमिटेशन का विवाद बनता ही नही है ऐसी स्थिति में गैरनिगराकार का जारी पट्टा निरस्त करने योग्य है साथ ही



सूचना अधिकार का आवेदन दिनांक 19.02.2016 निगराकार द्वारा प्रस्तुत किया। गैरनिगराकार द्वारा प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का नहीं है आदी लिखा इस पर निवेदन हैं कि जब जारी पट्टा विधि एवं नियमों में बना ही नहीं हैं विपक्षी संख्या 02 द्वारा विधिक प्रकिया अपनाई ही नहीं इसलिये इसी को चुनौती देने हेतु आप माननीय न्यायालय को निगरानी पेश की है। इसलिए गैरनिगराकार का जारी पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है। अतः निगराकार का जवाब-उल-जवाब स्वीकार फरमाया जाकर गैरनिगराकार का जारी पट्टा मय हर्जा खर्चा के साथ खारीज फरमावें। निगराकार की और से प्रस्तुत जवाब-उल-जवाब शामिल पत्रालवी होकर रिकार्ड पर है।

अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत नाडाखेडा से मूल अभिलेख तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत नाडाखेडा से पत्रांकप./2015-16 दिनांक 27.08.2015 से मूल अभिलेख प्राप्त हुआ जो कि पत्रावली के हम किता है।

प्रकरण में बहस पत्रावली को सुना गया। विद्वान अधिवक्ता निगराकार ने अपनी बहस पत्रावली में निगरानी मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत नाडाखेडा पंचायत समिति डूंगला जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा विपक्षी संख्या 01 औंकार लाल के नाम पर विपक्षी संख्या 02 ग्राम पंचायत नाडाखेडा द्वारा आवासीय भूमि का पट्टा संख्या 023 दिनांक 24.01.2013 को जारी किया है वह भूमि का पट्टा न्याय नियम एवं विधि के विपरीत जारी किये जाने से निरस्त किये जाने योग्य है। विपक्षी संख्या 02 द्वारा जारीशुदा उक्त विवादित पट्टा वाली भूमि पक्षकारान की पैतृक संपत्ति होकर उस पर प्रार्थीगण का कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थीगण विपक्षी संख्या 01 के पूर्वजों का पुश्तैनी मकान रहा है जिसका एक नजरी नक्शा निगरानी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है जो निगरानी प्रार्थना का भाग है उसके अनुसार हम पक्षकार का विवादित मकान में अलग-अलग कब्जा होकर उपयोग-उपभोग रहा है। हमारे इस पुश्तैनी संपत्ति का विधि अनुसार कोई बंटवाडा नहीं हुआ है, किन्तु आपसी समझ से अलग-अलग रूप से निवास करते रहे हैं। इस भांति उक्त विवादित संपत्ति हम पक्षकारों की पैतृक अविभाजित संयुक्त संपत्ति है जिसमें हम सभी का हक व हिस्सा निहित है। विपक्षी संख्या 01 औंकार लाल ने उक्त सभी तथ्यों को छिपाते हुए इस कुलिया संपत्ति का पट्टा ग्राम पंचायत से मिलकर अपने अकेले के नाम प्राप्त किया जो पट्टा विधि विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। विपक्षी संख्या 01 ने जो प्रार्थना पत्र उक्त विवादित पट्टा दिलाये जाने के संबंध में विपक्षी संख्या 02 ग्राम पंचायत के यहां प्रस्तुत किया उसमें उक्त संपत्ति का कोई पूर्ण विवरण नहीं दिया, न ही पडौस अंकित किये है और न ही कोई संपत्ति का नक्शा ही संलग्न किया है। उक्त मकान का पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत रूप से कोई कार्यवाही नहीं की गयी, पटवार



हल्का से किसी भांति कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की और न ही हम भाईयों से किसी भांति कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र ही उक्त मकान के संबंध में प्राप्त ही किया है। पड़ोसियों से भी कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र या उजर प्राप्त नहीं किये गये हैं। इतना ही नहीं ग्राम पंचायत के सरपंच, वार्ड पंच आदि की उपस्थिति में कोई मौका निरीक्षण कर पर्चा रिपोर्ट तैयार नहीं की गयी और भूमि के संबंध में पट्टा जारी किया गया उसके संबंध में कोई मौका रिपोर्ट और जानकारी तक प्राप्त नहीं की गयी और न ही कोई उजरदारी प्रस्तुत करने हेतु नोटिस ही जारी किया। इस भांति उक्त प्रक्रिया का बिना पालन किये ही जो पट्टा जारी किया है वह पट्टा नियमों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधिवक्ता निगराकार की बहस के जवाब में विद्वान अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 1 ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम पंचायत नाडा खेडा द्वारा विपक्षी संख्या 01 के नाम से आवासीय भूखण्ड मकान का पट्टा विधि अनुसार जारी किया है तथा ग्राम पंचायत द्वारा विधिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए जारी किया गया है तथा ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पुश्तैनी पट्टा को विधि अनुसार उप पंजीयक इंगला में दिनांक 22.04.2013 को पंजीकृत करवाया गया है। जिसमें सभी प्रकार की विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए उक्त पट्टा विपक्षी संख्या 01 को नियमानुसार जारी किया गया है जो किसी भांति निरस्त होने योग्य नहीं है। विपक्षी संख्या 01 को ग्राम पंचायत द्वारा जिस आवासीय भूमि मकान का पुश्तैनी पट्टा जारी किया गया है वह विपक्षी संख्या 01 के पिता चुन्नी लाल की संपत्ति एवं जायदाद है। विपक्षी संख्या 01 को जारी पुश्तैनी पट्टा वाला भूखण्ड मकान के पूर्व दिशा एवं दक्षिण दिशा में प्रार्थीगण के हक हिस्से के भूखण्ड मकान मौके पर स्थित है जो प्रार्थीगण के उपयोग-उपभोग के है। विपक्षी संख्या 01 के दादा जी रघुनाथ जी के तीन पुत्र थे जिनमें गिरधारी लाल जी तुलसीराम जी तथा सबसे छोटे विपक्षी संख्या 01 के पिता चुन्नी लाल जी थे। रघुनाथ जी की मृत्यु करीब 50 वर्ष पूर्व हो गयी थी तथा रघुनाथ जी की मृत्यु के पूर्व ही उनके सबसे बड़े पुत्र गिरधारी जी की मृत्यु हो चुकी थी। रघुनाथ जी की मृत्यु के बाद तुलसीराम चुन्नी लाल तथा मृतक गिरधारी लाल के वारिसान के बीच उक्त संपूर्ण मकान भूखण्डों का आपसी मौखिक विभाजन कर लिया था, जो करीब 50 वर्ष पहले किया गया था तभी से उक्त भूखण्ड मकान जिसका पुश्तैनी पट्टा ग्राम पंचायत नाडाखेडा द्वारा विपक्षी संख्या 01 को जारी किया गया है वह विपक्षी संख्या 01 के पिता चुन्नी लाल जी के उपयोग उपभोग एवं मालिकाना हक में चला आ रहा है और चुन्नी लाल जी की मृत्यु के बाद उक्त मकान विपक्षी संख्या 01 के उपयोग उपभोग में निरन्तर चला आ रहा है जिसमें प्रार्थीगण का कोई हक अधिकार उपयोग उपभोग नहीं है। रघुनाथ जी के पुत्र तुलसीराम व मृतक पुत्र गिरधारी लाल के वारिसान को जो आपसी मौखिक विभाजन से भूखण्ड मकान का जो हिस्सा प्राप्त हुआ है जो विपक्षी संख्या 01 के उक्त भूखण्ड मकान के पूर्व में तथा दक्षिण में स्थित है में प्रार्थीगण



कब्जे उपयोग उपभोग में ले रहे हैं जिसमें विपक्षी संख्या 01 का कोई हक अधिकार कब्जा हिस्सा अधिकार व उजर व आपत्ति भी नहीं है। विपक्षी संख्या 01 को ग्राम पंचायत नाडाखेडा द्वारा दिनांक 24.01.2013 को जिस आबादी भूमि का पुश्तैनी पट्टा जारी किया गया है एवं उक्त पुश्तैनी पट्टा को विधि अनुसार उपपंजीयक इंगला में पंजीकृत कराया गया है। प्रार्थीगण ने इस प्रार्थना पत्र के साथ जो तथाकथित नक्शा नजरी पेश किया है वह गलत होने से अस्वीकार है। विपक्षी संख्या 01 को जारी पुश्तैनी पट्टा भूखण्ड मकान वाले भाग पर प्रार्थीगण का कोई मालिकाना हक व कब्जा नहीं है क्योंकि उक्त भूखण्ड मकान रघुनाथ जी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र तुलसीराम चुन्नी लाल तथा मृतक पुत्र गिरधारी लाल के वारिसान के मध्य आपसी मौखिक विभाजन में विपक्षी संख्या 01 के पिता चुन्नी लाल को प्राप्त हुआ था तभी से विगत 50 वर्षों से चुन्नी लाल व उसके बाद उंकार लाल का मालिकाना हक व कब्जा है। तुलसीराम व मृतक गिरधारी लाल के वारिसान को मौखिक विभाजन से पूर्व दिशा की ओर तथा दक्षिण दिशा की ओर के भूखण्ड मकान प्राप्त हुए हैं जो प्रार्थीगण के हक हिस्से के हैं। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण पृथक-पृथक अलग-अलग निवास कर रहे हैं जिससे भी यह साबित है कि विपक्षी संख्या 01 का अलग हिस्सा है और अलग कब्जा है। जिसका कि पुश्तैनी पट्टा आवासीय भूमि का ग्राम पंचायत द्वारा विधि अनुसार विपक्षी संख्या 01 को जारी कर रजिस्टर्ड करवाया है। विपक्षी संख्या 01 ने किसी भी तथ्य को नहीं छिपाया है, ना ही कुलिया संपत्ति का पट्टा ग्राम पंचायत से प्राप्त किया है बल्कि रघुनाथ जी के मकान का कुल हिस्सा करीब 15 हजार स्कवायर फीट बनता है जिसमें से विधि अनुसार विपक्षी संख्या 01 का 1/3 हिस्सा बनता है और विपक्षी संख्या 01 ने 1/3 हिस्से भूमि में से ही उक्त पट्टा पूर्व में हुए आपसी मौखिक विभाजन अनुसार ही प्राप्त किया है, शेष 2/3 भाग भूमि का हिस्सा प्रार्थीगण के हक हिस्से कब्जे उपयोग उपभोग में है। विपक्षी संख्या 01 ने ग्राम पंचायत नाडाखेडा में विधि अनुसार ही उक्त पुश्तैनी पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था जिसमें विपक्षी संख्या 01 के हिस्से की भूमि मकान का ही विवरण दिया था तथा अपने हिस्से एवं कब्जे उपयोग-उपभोग का ही पट्टा समस्त वास्तविक तथ्य बताकर प्राप्त किया है। प्रार्थीगण का हक कब्जा तो उनके भूखण्ड मकान अनुसार मौके पर विद्यमान है, जो उक्त पट्टे वाली भूमि के पूर्व एवं दक्षिण दिशा की ओर स्थित है, इसलिए पट्टा विधि अनुसार जारी होने के कारण निरस्त होने योग्य नहीं है। ग्राम पंचायत नाडाखेडा द्वारा उक्त पुश्तैनी पट्टा का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही करके मौके की रिपोर्ट प्राप्त कर उजर आपत्ति प्राप्त करने हेतु सार्वजनिक सूचना जारी की गयी एवं उजर आपत्ति में दर्शायी गयी निर्धारित अवधि में किसी भी व्यक्ति की कोई उजर आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर विधि अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा समस्त नियमों/उपनियमों की अनुपालना करते हुए ग्राम पंचायत द्वारा विपक्षी



संख्या 01 को विपक्षी संख्या 01 के कब्जे उपयोग-उपभोग के उक्त आवासीय भूखण्ड मकान का पट्टा नियमानुसार जारी करके पट्टे को उपपंजीयक कार्यालय इंगला में ग्राम पंचायत नाडाखेडा के सरपंच एवं सचिव द्वारा पंजीकृत करवाया गया है जिसमें सभी प्रकार की विधिक प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है। ग्राम पंचायत के द्वारा विपक्षी संख्या 01 को उक्त भूखण्ड मकान का पुश्तैनी पट्टा जारी किये जाने की व कार्यवाही की जानकारी प्रार्थीगण को प्रारम्भ से ही रही है। प्रार्थीगण द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा जारी की गयी उजरदारी सूचना के बाद ग्राम पंचायत में किसी प्रकार की उजर आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है जिससे यह प्रमाणित है कि विपक्षी संख्या 01 को पट्टा पुश्तैनी मकान का विधि अनुसार जारी किया गया है। ग्राम पंचायत के ग्रामसभा के प्रस्ताव अनुसार ही ग्राम पंचायत ने उक्त पट्टा जारी करने की प्रक्रिया विधि अनुसार ही की है। प्रार्थीगण का यह आरोप निराधार है कि पंचायत ने कोई ग्राम सभा आयोजित नहीं की न ही प्रस्ताव संख्या 09 पारित किया है, बल्कि ग्राम पंचायत के बैठक कार्यवाही रजिस्टर में उक्त प्रस्ताव संख्या 09 में उक्त पट्टा जारी किये जाने का स्पष्ट अंकन किया गया है तथा ग्राम पंचायत के बैठक कार्यवाही रजिस्टर दिनांक 21.12.2012 में भी प्रस्ताव संख्या 03 में पट्टा जारी किये जाने संबंधी प्रस्ताव लिया जाना अंकित किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत की कार्यवाही विधि अनुसार हुई है। विपक्षी संख्या 01 के आवेदन पर ग्राम पंचायत ने नियमानुसार पूर्ण जांच करने के पश्चात ही सार्वजनिक उजरदारी का नोटिस निकालने के बाद ही वास्तविक तथ्यों की जानकारी कर सभी नियमों की जानकारी कर पट्टा विपक्षी संख्या 01 को जारी किया गया है। ग्राम पंचायत ने सभी नियमों एवं कानूनों की अनुपालना करते हुए ही पट्टा विपक्षी संख्या 01 को जारी किया है एवं पंजीकृत किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं हुई है। प्रार्थीगण निगराकार द्वारा यह प्रार्थना पत्र दिनांक 03.07.2015 को 2 वर्ष व 3 माह से अधिक अवधि के पश्चात प्रस्तुत किया गया है जबकि प्रार्थीगण को उक्त पट्टा जारी करने की दिनांक से ही समस्त तथ्यों की पूर्ण जानकारी है क्योंकि प्रार्थीगण गांव घोडाखेडा के निवासी है। समस्त कार्यवाही प्रार्थीगण के समक्ष खुले रूप से हुई है इस कारण उक्त निगरानी मियाद बाहर होने से निरस्त होने योग्य है। प्रार्थीगण ने उक्त निगरानी में ढाई वर्ष से अधिक की अवधि के विलम्ब का कोई कारण दर्शित नहीं किया है न ही विलम्ब के संबंध में कोई तथ्यात्मक उल्लेख भी अंकित नहीं किया गया है इस कारण यह निगरानी मियाद के बिन्दू पर निरस्त होने योग्य है। यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का नहीं है क्योंकि उक्त मामला केवल सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा ही निर्णित किया जा सकता है। पुश्तैनी पट्टा जो विपक्षी संख्या 01 को जारी किया गया है वह उपपंजीयक इंगला में 22.04.2013 को पंजीकृत किया गया है जिसे केवल सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा ही निरस्त



कराया जा सकता है। प्रार्थीगण ने उक्त भूमि स्वयं की पुश्तैनी होने का कथन करते हुए यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसके संबंध में घोषणा सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा ही की जा सकती है। प्रार्थीगण उनके किसी हक अधिकार की घोषणा कराना चाहते हैं तो वह सक्षम सिविल न्यायालय से ही करवा सकते हैं निगरानी प्रार्थना पत्र में इस प्रकार का आक्षेप उठाने का कोई अधिकार नहीं है। इसी ईशतदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 1 ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। विद्वान अधिवक्ता गैर निगराकार की बहस के रिवटल में अधिवक्ता निगराकार ने बताया कि विपक्षी का प्रार्थना पत्र प्रथम जिस पर किसी प्रकार की तारीख अंकित नहीं है। विपक्षी संख्या 1 द्वारा जो शपथ पत्र प्रस्तुत किया उस पर कोई तारीख अंकित नहीं है तथा गवाह एवं मकान के पडोसीयान के कॉलम रिक्त छोड़े गये। विपक्षी संख्या 1 द्वारा विपक्षी की सम्पति किस वार्ड में है रिक्त हैं, कही भी उल्लेख नहीं किया। शपथ पत्र के कॉलम संख्या 2 में जिस भूखण्ड/मकान को नाम पर कराने का आवेदन किया उसका कोई नाम दर्ज नहीं किया। विपक्षी संख्या 1 द्वारा स्टाम्प क्रय किया क्रमांक 2246 दिनांक 13.01.2013 विपक्षी संख्या 2 द्वारा जारी पट्टा नम्बर 0117 पट्टा संख्या 023 दिनांक 24.01.2013 जारी किया गया। पट्टा दिनांक 24.01.2013 में संकल्प संख्या कि जगह ग्रामसभा के प्रस्ताव संख्या 09 से अनुमोदन होना लिखा इसमें ग्रामसभा किस दिन की थी यह अंकित नहीं है। दिनांक 20.12.2013 कि ग्रामसभा के प्रस्ताव संख्या 9 में अंकित किया की को ग्राम में आवेदन पत्र व शपथ पत्र के आधार पर पट्टे जारी किये गये यानि ग्रामसभा के पूर्व पट्टे बिना ग्रामसभा के अनुमोदन किये ही पट्टे जारी करना तथ्य प्रमाणित अंकित है। ग्राम पंचायत विपक्षी संख्या 2 द्वारा जारी पट्टा संख्या 023 दिनांक 24.01.2013 के नियम 1 में अंकित किया हुआ है पूर्वान्त आवंटिती का 50 वर्ष से अधिक होने से पुराने घर पर कब्जा हैं आदि आदि अंकित है इस पर विपक्षी संख्या 1 द्वारा स्टाम्प विक्रयकर्ता उदय लाल ने विपक्षी संख्या 1 उंकारलाल ने उम्र 50 वर्ष लिखा हैं जिसके प्रमाण में स्टाम्प नम्बर 2246 दिनांक 13.01.2013 के अनुसार विपक्षी संख्या 1 द्वारा पंचायत को गलत सूचना देकर पट्टा प्राप्त करना जाहिर होता है, कारण नियम संख्या 1 के अनुसार विपक्षी का निवास 50 वर्ष से अधिक होना नियमों में प्रावधान होने से उक्त पट्टा विपक्षी संख्या 1 प्राप्त करने का हकदार नहीं हैं। गैरनिगराकार ने निगरानी की चरण संख्या 2 में अंकित सजरा को गलत होना बता कर अस्वीकार किया, लेकिन उसके द्वारा कोई सजरा नहीं बनाया जो बनाना चाहिए था। तथा गैर निगराकार ने आगे लिखा की उक्त सम्पूर्ण मकान भूखण्डो का आपसी मौखिक विभाजन कर लिया था जो करीब 50 वर्ष पहले किया था इस सम्बन्ध में गैर निगराकार द्वारा कोई साक्ष्य सबूत या किसी का शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है ऐसी स्थिति में प्राकृतिक न्याय के अनुसरण में जब गैर निगराकार स्वयं जब भूखण्ड को पंजीकृत कराया



तब उसकी उम्र 50 वर्ष रही हैं स्वयं गैर निगराकार जवाब में 50 वर्ष पूर्व आपसी मौखिक बंटवाडे का कथन करना अपने आप स्वार्थ के वशीभूत होकर अपने बचाव के लिये मनगढंत कहानी रचना दर्शित होती हैं। उक्त भूखण्ड मकान रघुनाथ की मृत्यु के बाद उनके पुत्र तुलसीराम, चुन्नीलाल एवं मृतक पुत्र गिरधारी लाल के वारिसान के मध्य आपसी मौखिक विभाजन में विपक्षी संख्या 1 के पिता चुन्नी लाल को प्राप्त हुआ तभी से विगत 50 वर्षों से चुन्नी लाल व उसके बाद उंकारलाल का मालिकाना हक व कब्जा हैं तुलसीराम व मृतक गिरधारी लाल के वारिसान को मौखिक विभाजन से पूर्व दिशा की और तथा दक्षिण दिशा की और के भूखण्ड मकान प्राप्त हुए हैं। जो प्रार्थीगण के हक हिस्से में हैं। आदी कथन किये इससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त सम्पति मकान विवादित है। रघूनाथ जी मृत के तीन सन्तान हैं जो गैर निगराकार भी स्वीकार करता है ऐसी स्थिति में पूर्व में कोई विधिक बंटवाड़ा हुआ ही नहीं है। तब विवादित उक्त मकान, भूखण्ड के तीन हिस्से बराबर होंगे जिससे सभी तीनों परिवार के वारिसान अच्छा से अच्छा एवं खराब से खराब में तीनों ही बराबर के हकदार है। गैरनिगराकार ने कुल भूखण्ड 15000 वर्गफिट होना भी अंकित किया जिसमें से विधि अनुसार विपक्षी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा बनता है और विपक्षी गैरनिगराकार संख्या 1 ने 1/3 हिस्सा भूमि में से ही उक्त पट्टा पूर्व में हुए आपसी मौखिक विभाजन अनुसार ही प्राप्त किया, शेष 2/3 भाग भूमि का हिस्सा प्रार्थीगण के हक हिस्से कब्जे उपयोग उपभोग में हैं का उल्लेख किया इस सम्बन्ध में तथ्य यह है कि वर्तमान में गैर निगराकार के अनुसार 15000 वर्गफिट का भूखण्ड स्वयं के कथन से उसके हिस्से में 5000 वर्गफिट भूखण्ड आता है। जबकि गैर निगराकार ने मात्र 2750 वर्गफिट का पट्टा ही पंचायत से लेने का आवेदन क्यों किया इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर अच्छी से अच्छी जगह का पट्टा बना लिया एवं खराब से खराब भूखण्ड अन्य के लिये छोड़ दिया। मात्र दिशाओ से पट्टा जारी नहीं होता पट्टा जिस भू-भाग का प्राप्त करना है उस भू-भाग का नजरी नक्शा पेश करना एवं लम्बाई चौड़ाई दर्शाना भी अनिवार्य होता है जो कुछ भी नहीं दर्शाया इसलिए पंचायत द्वारा दिया गया पट्टा संख्या 023 दिनांक 24.01.2013 निरस्त करने योग्य है। पंचायत नाडाखेडा को प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर नियमानुसार उजरदायी आपत्ति प्राप्त करने हेतु सार्वजनिक सूचना जारी की गयी तथा निर्धारित अवधि में कोई उजरदायी आपत्ति प्राप्त नहीं होने से समस्त नियमों/उपनियमों की अनुपालना करते हुए विपक्षी संख्या 01 को विपक्षी संख्या 02 की कब्जे उपयोग उपभोग के वक्त आवासीय भूखण्ड मकान का पट्टा नियमानुसार जारी करना बताया जबकि विपक्षी संख्या 01 के भूखण्ड मकान में वर्तमान निगराकार संख्या 01 बोतलाल निवास कर रहा हैं। ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 20.12.2013 प्रस्ताव संख्या 09 को ग्राम में आवेदन पत्र व शपथ पत्र के आधार पर पट्टे जारी किये गये अंकित हैं तथा



ग्राम पंचायत की बैठक कार्यवाही रजिस्टर दिनांक 21.12.2012 में भी प्रस्ताव संख्या 3 में पट्टा जारी किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव लिया जाना अंकित किया लेकिन जवाब के साथ इस सम्बन्ध में विपक्षी संख्या 01 ने कोई सबुत पेश नहीं किया। यदि ऐसा है तो पट्टा दिनांक 24.01.2013 को जारी किया गया एवं पंचायत बैठक दिनांक 20.12.2013 आयोजित हुई है इसलिए गैर निगराकार का पट्टा निरस्त होने योग्य है। उक्त भुखण्ड का विधि अनुसार बंटवाडा नहीं हुआ इसलिये निगराकार हितग्राही है। गैर निगराकार के स्वामित्व हक अधिकार की भूमि तभी मान्य होती जब विधिक बंटवाडा घोषित न्यायालय द्वारा होता या आपसी लिखा पढ़ी। जो किसी न्यायालय, पंचाट द्वारा सक्षम बंटवाडा घोषित नहीं किया इसलिए गैरनिगराकार का जारी पट्टा निरस्त योग्य है। इसी ईशतदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता निगराकार ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का परिशीलन किया। तथ्यों का मनन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। प्रकरण में तथ्यों का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। हमने विधि का अवलोकन किया पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 97 का गहनता पूर्वक परिशीलन किया।

97. Power of revision and review by Government.- (1) The State Government may, either of its own motion or on an application from any person interested, call for and examine the record of a Panchayati Raj Institution or of a Standing Committee or Sub-Committee thereof in respect of any proceedings to satisfy itself as to the correctness, legality or propriety of any decision or order passed therein or as to the regularity of such proceedings and, if in any case, it appears to the State Government that any such decision or order be modified, annulled, reversed or remitted for reconsideration, it may pass order accordingly:

Provided that the State Government shall not pass any order prejudicial to any party unless such party has a reasonable opportunity of being heard in the matter.

(2) The State Government may stay the execution of any such decision or order prejudicial to any party, pending the exercise of its powers under sub-section (1) in respect thereof.

(3) The State Government may, of its own motion or on an application received from any person interested, at any time within ninety days of the passing of an order under Subsec.

(1), review any such order if it was passed by it under any mistake, whether of fact or of law or in ignorance of any material fact. The provisions contained in the proviso to Sub-sec. (1) and in Sec. (2) shall apply to a proceeding under this sub-section.

राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अनुसार राज्य सरकार स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध



व्यक्ति के आवेदन पर किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी समिति की किन्ही भी कार्यवाहियों के संबंध में निर्णय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता, औचित्य एवं नियमित होने की दृष्टि से अभिलेख मंगाने, परीक्षण करने एवं ऐसे आदेश/निर्णय/कार्यवाही प्रस्ताव को संशोधित करने, उलट दिये जाने, उपांतरित किये जाने या पुनः विचारार्थ प्रतिप्रेषित किये जाने की अधिकारिता रखती है। राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ4(10)परावि/विधि/संशोधन/2004/3690 दिनांक 13.12.2004 के अनुसार उक्त धारा 97 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रत्यायोजन जिला कलक्टर को पुनर्स्थापित कर दिया गया है। निगराकार द्वारा हस्तगत निगरानी में विवादित पट्टे के संबंध में उसकी विधिकता/औचित्य के संबंध में प्रश्न उठाया गया है, ऐसी स्थिति में प्रकरण इस न्यायालय में पोषणीय पाया जाता है।

हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख की अवलोकन/परिशीलन किया। पंचायतीराज नियम 1996 के अध्याय 9 में आबादी भूमि के संबंध में प्रक्रियात्मक प्रावधान किये गये हैं। उक्त प्रावधानों के अनुसार नियम 157 के तहत पुराने गृहों का विनियमितीकरण किये जाने के प्रावधान प्रावधित किये गये हैं। पंचायतीराज नियम, 1966 के नियम 157 में निम्नानुसार प्रावधान प्रावधित किये गये हैं।

157. Regularisation of old houses.-

[1][Where the persons are in possession of the old houses in Abadi land and desire to get a patta issued, patta may be issued by the Panchayat in Form XXIII-A after depositing the charges as under : -

- (a) For old houses constructed more than fifty years before the date of commencement of these rules Rs. 100 /-
- (b) For old houses constructed [during the seventy years immediately preceding to date of 31st December, 2016]. Rs. 200/-

[2][Provided that no fees shall be charged under sub-clause (a) an only 10 percent fees shall be charged under sub-clause (b) of clause (i) above from the families included in the list of below poverty line.]

हमने अधीनस्थ ग्राम पंचायत नाडाखेडा से प्राप्त अभिलेख का गहनता से अध्ययन/परिशीलन किया। राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 में पुराने गृहों को विनियमितकरण के संबंध में प्रावधान प्रावधित किये गये हैं। प्रावधानुसार जहाँ व्यक्तियों के कब्जे से आबादी भूमि में पुराने गृहों हो और वे पंचायत से कोई पट्टा जारी करवाना चाहते हो तो वह नियमानुसार राशि कराये जाने के पश्चात् पंचायत द्वारा पट्टे जारी किया जा सकेगा। अधीनस्थ ग्राम पंचायत नाडाखेडा द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 को जरिये मिसल संख्या 023 दिनांक दायर 21.12.2012 से उक्त विवादित पट्टा संख्या 023 दिनांक 24.01.2013 जारी किया गया। उक्त मिसल पत्रावली रिकार्ड पर है। मिसल के अवलोकन से जाहिर



होता है कि आवेदक गैर निगराकार संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ ग्राम पंचायत नाडाखेडा को पुराने गृह का पट्टा जारी किये जाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया। मिसल की आज्ञाओं की सूची की आज्ञा दिनांक 21.12.2012 अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा आवेदक के प्रार्थना पत्र के आधार पर पत्रावली कायम किये जाने का निर्णय लिया गया। आज्ञा दिनांक 09.01.2013 के अनुसार मौका नक्शा पेश कोरम में पेश हुआ। एवं मौका निरीक्षण कमेटी द्वारा पट्टा जारी किये जाने की सिफारिश की गई। नियमानुसार 15 दिवस की उजरदारी जारी किये जाने का निर्णय लिया गया। एवं नियमानुसार शुल्क जमा किये जाने का निर्णय लिया गया। दिनांक 09.01.2015 को 15 दिवसीय सूचना पत्र बाबत आपत्ति जारी किया गया। ग्राम पंचायत बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 24.01.2013 के अनुसार प्रस्ताव संख्या 9 के अनुसरण में गैर निगराकार संख्या 1 एवं अन्य दीगर व्यक्तियों को आवेदन पत्र व शपथ पत्र के अधार पर पट्टे जारी किये गये का अंकन अंकित है। हमने अधीनस्थ ग्राम पंचायत नाडाखेडा द्वारा प्रेषित रोकड बही वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक का अवलोकन किया। हमने रोकड बही के पृष्ठ संख्या 75 के क्रम संख्या 67 पर अंकित विवरण का अवलोकन किया। विवरणानुसार दिनांक 24.01.2013 से उंकार पिता चुन्नीलाल शर्मा निवासी घोडाखेडा से बापी पट्टा शुल्क के रूप में रूपये 260/- अक्षरे दौ सौ साठ रूपये जमा किया गया। ग्राम पंचायत नाडाखेडा के बैठक कार्यवाही का आद्यौपांत अवलोकन किया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत नाडाखेडा द्वारा मिसल संख्या 023 की आज्ञाओं की सूची का अवलोकन किया गया है कि 3 सदस्यगणों द्वारा मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जिसका अवलोकन किया गया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत नाडाखेडा द्वारा जारी आबादी भूमि के प्रस्तावित विक्रय के संबंध में आक्षेप आमंत्रित करने का नोटिस दिनांक 09.01.2015 को जारी किया गया है उक्त नोटिस में आक्षेप की अवधि 15 दिन अंकित की गई है। इसके साथ राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 में स्पष्ट प्रावधान किये गये है कि आवेदक द्वारा नियमानुसार राशि जमा कराये जाने के पश्चात् ही पट्टा जारी किया जा सकता है आवेदक द्वारा राशि रूपये 260/- अक्षरें दौ सौ साठ रूपये दिनांक 24.01.2013 को जमा कराये गये है। ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष यह तथ्य प्रकट होता है कि उक्त विवादित भूखण्ड जिसका पट्टा संख्या 023 दिनांक 24.01.2013 अधीनस्थ ग्राम पंचायत नाडाखेडा द्वारा जारी किया गया है, उक्त पट्टा जारी किये जाने में अधीनस्थ ग्राम पंचायत नाडाखेडा द्वारा राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 के तहत राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के विधिक प्रावधानों की पूर्ण पालना की जाकर विधिक प्रक्रिया अनुसार पट्टा जारी किया जाना जाहिर होता है।



उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर निगराकार द्वारा उठाये गये विवादित पट्टा संख्या 023 दिनांक 24.01.2013 के संबंध में अधीनस्थ ग्राम पंचायत नाडाखेडा पंचायत समिति इंगला के अभिलेख के गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन/परीक्षण करने पर न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं होता है कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत नाडाखेडा द्वारा उक्त विवादित पट्टा संख्या 023 दिनांक 24.01.2013 जारी किये जाने में किसी भी प्रकार से कोई त्रुटि/विधिक भूल की गई। अधीनस्थ ग्राम पंचायत नाडाखेडा द्वारा राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 के तहत राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 के तहत पुराने गृहों के विनियमितकरण के प्रावधानों के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही संपादित करते हुए उक्त विवादित पट्टा संख्या 023 दिनांक 24.01.2013 जारी किया जाना प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारीज योग्य प्रतीत होती है, एवं अधीनस्थ ग्राम पंचायत नाडाखेडा पंचायत समिति इंगला द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 उंकारलाल पिता चुन्नीलाल शर्मा निवासी घोडाखेडा तहसील इंगला को जारी पट्टा संख्या 023 दिनांक 24.01.2013 में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विधि के प्रावधानों के अनुसरण में सुसंगत नहीं पाये जाने से खारीज की जाती है, एवं अधीनस्थ ग्राम पंचायत नाडाखेडा पंचायत समिति इंगला द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 उंकारलाल पिता चुन्नीलाल शर्मा निवासी घोडाखेडा तहसील इंगला को जारी पट्टा संख्या 023 दिनांक 24.01.2013 की पुष्टि की जाती है। निर्णय की प्रति विकास अधिकारी इंगला को सूचनार्थ एवं पालनार्थ भिजवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 05.04.2021 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रतन कुमार)
अतिरिक्त कलक्टर,
(प्रशासन) चित्तौड़गढ़

